<u>न्यायालय— शरद जोशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंजड़ जिला</u> <u>बडवानी म.प्र.</u>

आप0प्र0क0— 170 / 2018 आर.सी.टी. कं. 163 / 18 संस्थापन दिनांक—05.05.2018

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र ठीकरी, जिला बड़वानी म0प्र0

.....अभियोगी

विरूद्ध

बाला पिता माका उम्र 45 साल, निवासी पीरबाबा बैडी चारण मोहल्ला ठीकरी थाना ठीकरी जिला बडवानी म0प्र0

.....अभियुक्त

//निर्णय// (आज दिनांक 05.05.2018 को घोषित)

- 01— अभियुक्त **बाला** के विरूद्ध 34 (1) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 30.04.2018 को समय 21:00 बजे, स्थान— नायदड रोड ठीकरी पर अभियुक्त के आधिपत्य में वैध अनुज्ञप्ति के बिना 16 क्वाटर देशी प्लेन शराब रखने का आरोप है। 02— प्रकरण में उल्लेखनीय तथ्य है कि, अभियुक्त के द्वारा स्वेच्छा पूर्वक
- 02— प्रकरण में उल्लेखनीय तथ्य है कि, अभियुक्त के द्वारा स्वेच्छा पूर्वक अपराध स्वीकार किया गया है।
- 03— अभियोजन कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 30.04.2018 को मूखिबर द्वारा सूचना मिली कि नायदड रोड पर अवैध रूप से शराब बेच रहा है, सूचना पर विश्वास कर हमराही पंचान संजय पिता छोगालाल व पेमा पिता माका को तलब कर सूचना से अवगत कराकर साथ लेकर नायदड रोड के पास पहुंचे, जहां पर एक व्यक्ति रोड पर हाथ में प्लास्टिक की थैली लिये दिखा जिसे घेराबंदी कर पकड़ा जिसे रोककर नाम पता पूछते अपना नाम बाला पिता माका मेघवाल का होना बताया। अभियुक्त बाला के पास मिले एक प्लास्टिक की थैली को चेक करते उसके अंदर 16

\sim		
ान	ਹਰਹ	

आप.प्र.क. 170 / 2018 आर.सी.टी.कं. 163 / 18 संस्थापन दिनांक 05.05.2018

क्वाटर देशी प्लेन शराब होना बताया। शराब लाने ले जाने का लायसेंस पूछने पर नहीं होना बताया। अभियुक्त बाला का उपरोक्त कृत्य धारा 34 ए आबकारी एक्ट का पाया जाने से पंचान के समक्ष अभियुक्त बाला पिता माका मेघवाल के कब्जे से 16 क्वाटर देशी प्लेन शराब जप्त की जाकर विधिवत् जप्ति व अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाने के अप0 क्0 161/18 पर प्रथम सूचना पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण विवेचना में लिया गया तथा विवेचना उपरांत अभियुक्त बाला पिता माका मेघवाल के विरुद्ध अभियोग पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में अभियुक्त बाला पिता माका मेघवाल ने अपराध स्वीकार किया। अभियुक्त को दंड का परिणाम से अवगत कराया गया और उसे समझाया गया कि वह संस्वीकृती करने के लिये आबद्ध नहीं है। किन्तु अभियुक्त के द्वारा अपराध समझने के उपरांत प्रश्नगत दिनांक को अपने आधिपत्य में बिना अनुज्ञप्ति के 16 क्वाटर देशी प्लेन शराब रखना स्वीकार किया है। अतः स्वेच्छयापूर्ण की गई संस्वीकृती के आधार पर अभियुक्त को धारा 34 (1) आबकारी अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है। 05— अभियुक्त को धारा 34 (1) आबकारी अधिनियम के आरोप में न्यायालय उठने की सजा एवं 1000/— रू के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं किये जाने पर 07 दिवस का सश्रम कारावास भुगताया जावे।

06— प्रकरण में जप्त शुदा 16 क्वाटर देशी प्लेन मदिरा मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया

सही / –

(शरद जोशी) न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी अंजड जिला बडवानी म0प्र0 मेरे निर्देशन व बोलने पर टंकित किया गया। सही / –

(शरद जोशी) न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी अंजड जिला बडवानी म0प्र0